कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा / प्रारं / आर.टी.ई. / विविध / 3554 / 11–12 / 150 दिनांकः– 18/10/11

जिला कलेक्टर
समस्त

विषयः–निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 धारा 27 अन्तर्गत शिक्षकों को गैर–शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाने बाबत्।

महोदय,

विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (धारा 27) में यह प्रावधान है कि "**किसी भी शिक्षक को दस वर्षीय जनसंख्या जनगणना, विभीषिका राहत कर्तव्यों या यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मण्डलों या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर–शैक्षिक प्रयोजनों के लिये अभिनियोजित नहीं किया जायेगा।**"

निदेशालय को विभिन्न स्तरों से निरन्तर यह परिवेदनाएं प्राप्त होती हैं कि शिक्षकों को उक्त वर्णित कार्यों से इतर गैर–शैक्षिक कार्यों में लगाया जाता है जिससे शाला में शिक्षण कार्य बाधित होता है। अतः आपसे अनुरोध है कि शिक्षकों को गैर–शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जाये। यदि आपके एवं आपके अधिनस्थ कार्यालयों में आर.टी.ई. अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य हेतु शिक्षक को लगाया हुआ है तो कृपया उसे अविलम्ब संबंधित शाला हेतु कार्यमुक्त करवाने का श्रम करें।

सादर।

भवदीय

ह०–
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः–

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे यह पूर्ण रुप से सुनिश्चित करें कि आर.टी.ई. अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त उनके जिले के किसी भी विद्यालय के किसी भी शिक्षक को गैर शैक्षिक कार्य में किसी अन्य कार्यालय में नहीं लगाया जावे।
2. समस्त उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करनें की सख्त सतत मोनेटरिंग करेगें।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर